

वृत्त व...
 पेश किया। दोनों पक्षों के प्रति
 दो पक्षधारण की ओर से उपस्थित
 राजीनामा का उपस्थित पत्र पेश
 किया व अद्विष्ट दस्तावेज जहाँ
 न. नियम 14 और 12 नियम का पेश
 किया, जो सामिल प्रियत्व।
 आज 200 इन समय पर है
 पत्रावली दिनांक 28/8/19 को
 पेश हो।

सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) बालोत्तरा

28/8/19

पत्रावली पेश हुई। प्रत्येक पक्ष
 प्रतियादी संख्या 10/11 प्रतियादी संख्या
 2 व दोनों के बीच स्थित।
 प्रतियादी संख्या-1 ने पत्र अदायत
 की गावना से प्रेषित होकर राजीनामा
 पेश किया, जो सामिल प्रियत्व किया
 गया। दोनों पक्षों की व्यव
 सुनी गयी। राजीनामा व पत्रावली
 का अवलोकन किया गया। नारी
 ने सरहद ओजा "शमसीन" के द्वारा
 नं० 95/661 संख्या 10.11 जीव्या,
 खसरा नं० 1225/525 संख्या 4-02
 जीव्या से प्रतियादी संख्या-1 इस्मानराम

पुत्र 'बोवाराग' की खातेदार शूमी
 से से अपने हिले का खातेदार
 घोषित किया जाह। अनुतोष में
 जारी करवाये गये। अन्य
 खसरो में अपना विषय की गांठ
 नहीं की गयी। बाद में प्रतिवादी
 संख्या 2 से 16 अला इत्यादी
 में शहनातेदार है। एवं प्रतिवादी
 संख्या - 17 मुजिदाराग लखीलदार
 है, जिन्हें जारी द्वारा लकी क्रिया
 गयी है। अतः प्रतिवादी संख्या
 2 से 17 को जारी द्वारा वादा
 गया अनुतोष घोषित नहीं
 होता है। अतः उनके उपस्थित
 होना व पान दर्ज करना लकी
 संभव नहीं है।

अतः जारी का बाद रनीमार
 क्रिया जाता है। एवं जारी व
 प्रतिवादी संख्या - 1 के मध्य हुए
 राजीनामा को लकी क्रिया जाकर
 आदेशित क्रिया जाता है की
 जारी जजदारा को शरहद मौजा
 राजसीज के खसरा नं० 94/66
 संख्या 10 बीवा 11 किल्ला में प्रतिवादी
 संख्या - 1 हडमानराग के नाम दर्ज
 115 हिले में से संख्या 01 बीवा

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज

भूमी एवं स२६५ गौजा जैरसा
में खलरा न० १२२५/५२५ रमका
०५ कीबा ०२ बिबा में प्रतिवादी
सर्व्व १ हडगानरग का १/३ हिस्सा
(डापील ०१ कीबा ०७ बिबा भूमी)
संपूर्ण एक हिस्सा भूमी वादी
जगदीश के एक बेट में दी
जाती है। अतः अतः अनुसार
भूमी का खातेदार वादी जगदीश
को घोषित किया जाता है।

तहकीलदार पंचपदरा को आदेश
दिया जाता है कि स२६५ गौजा
रमकीन में खलरा न० ०५/६६
रमका १० कीबा ११ बिबा में प्रतिवादी
सर्व्व १ हडगानरग के नाम रजि १/५
हिस्सा में से रमका ०१ कीबा एवं
स२६५ गौजा जैरसा १२२५/५२५
रमका ०५ कीबा ०२ बिबा में हडगानरग
सर्व्व १/३ हिस्सा भूमी में वादी जगदीश
का नाम सजस्व रेकर्ड में अंगल
दरागद करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया
गया।

पञ्चाधी छैलप सुगार होकर
अक्ष शास्त्री दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा